

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 655] No. 655] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 2017/फाल्गुन 12, 1938 NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 2017/PHALGUNA 12, 1938

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2017

का.आ. 729(अ).—पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 4 की उप-धारा(1) और धारा 5क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा दिनांक 01.03.2017 से तीन वर्षों की अविध के लिए सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों से युक्त भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन करती है अर्थातु :

1.	वन महा निदेशक एवं विशेष सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली	धारा 5(1)(क) के तहत सदस्य (पदेन)
2.	पशु पालन आयुक्त, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली	धारा 5(1)(ख) के तहत सदस्य (पदेन)
3.	संयुक्त सचिव या उनके प्रतिनिधि, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली	धारा 5(1)(खक) के तहत सदस्य
4.	संयुक्त सचिव या उनके प्रतिनिधि, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली	धारा 5(1)(खक) के तहत सदस्य
5.	वन महा-निरीक्षक (वन्यजीव), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली	धारा 5(1)(खख) के तहत सदस्य
6.	श्री मोहन सिंह आहलूवालिया, हरियाणा	धारा 5(1)(खग) के तहत सदस्य
7.	श्री राजीव गुप्ता, सेवानिवृत्त सचिव, युवा कार्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली	धारा 5(1)(खग) के तहत सदस्य
8.	श्री गिरीश शाह, समस्ता महाजन, मुंबई	धारा 5(1)(खग) के तहत सदस्य
9.	डा. आर.एस. चौहान, कॉलेज ऑफ वेटरीनरी एंड एनिमल साईंसेस, जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी	धारा 5(1)(ग) के तहत सदस्य

1230 GI/2017 (1)

विश्वविद्यालय, उत्तराखंड

10.	वैध हितेश जानी, अध्यक्ष एवं प्रमुख चिकित्सक, पंचकर्म यूजी विभाग, जामनगर, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय	धारा 5(1)(घ) के तहत सदस्य
11.	डीजी, आईसीएमआर	धारा 5(1)(घ) के तहत सदस्य
12.	गुवाहाटी नगर निगम के प्रतिनिधि, असम	धारा 5(1)(ड.) के तहत सदस्य
13.	नगर निगम के प्रतिनिधि, कर्नाटक	धारा 5(1)(ड.) के तहत सदस्य
14.	श्री सुनील मानसिंघका, गौविज्ञान अनुसंधान केंद्र, देवलापर, नागपुर	धारा 5(1)(च) के तहत सदस्य
15.	श्री राम कृष्ण रघुवंशी, पीपल ऑफ एनिमल जनकल्याण समिति, विदिशा, मध्य प्रदेश	धारा 5(1)(च) के तहत सदस्य
16.	संयुक्त सचिव (पशु कल्याण), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार	धारा 5(1)(छ) के तहत सदस्य
17.	श्री अजीत शरद केलकर, इंदौर, मध्य प्रदेश	धारा 5(1)(छ) के तहत सदस्य
18.	श्री धनपाल सिंह, गायत्री परिवार, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार।	धारा 5(1)(छ) के तहत सदस्य

केंद्र सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के अनुसार भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद के लिए वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव को नामित करती है।

बोर्ड के शेष चार पदों के लिए धारा 5(1)(च) और धारा 5(1)(छ) के अंतर्गत अलग से नामांकन किया जाएगा। [फा. सं. 11/14/2016-एडब्ल्यूडी]

एस. गौरी शंकर, उप सचिव (एडब्ल्यू)

टिप्पण: भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के पुनर्गठन से संबंधित पूर्ववर्ती अधिसूचनाएं भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 29.11.2007 की अधिसूचना सं.का.आ.2005(अ), दिनांक 29.12.2008 की अधिसूचना सं.का.आ.2981(अ), दिनांक 30.11.2009 की अधिसूचना सं.का.आ.3077(अ), दिनांक 01.12.2010 की अधिसूचना सं.का.आ.2882(अ), दिनांक 28.02.2014 की अधिसूचना सं.का.आ.602(अ), दिनांक 13.05.2015 की अधिसूचना सं.का.आ.1301(अ), दिनांक 23.12.2016 की अधिसूचना सं.का.आ.4156(अ) और दिनांक 26.12.2016 की अधिसूचना सं.का.आ.4165(अ) द्वारा प्रकाशित की गईं थीं।

# MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2017

**S.O. 729(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 and Section 5A of the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby reconstitutes the Animal Welfare Board of India consisting of the following persons as its Members for a period of three years w.e.f. 01.03.2017, namely:-

1. Director General of Forests & Special Secretary, Member (ex-officio) under Section 5(1)(a) Ministry of Environment and Forests, New Delhi

2. The Animal Husbandry Commissioner, Ministry of Agriculture, New Delhi Member (ex-officio) under Section 5(1)(b)

3.	The Joint Secretary or his representative, Ministry of Home Affairs, New Delhi	Member under Section 5(1)(ba)
4.	The Joint Secretary or his representative, Ministry of Human Resources Development. New Delhi	Member under Section 5(1)(ba)
5.	The Inspector General of Forest (Wildlife), Ministry of Environment & Forests, New Delhi.	Member under Section 5(1)(bb)
6.	Shri Mohan Singh Ahluwalia, Haryana,	Member under Section 5(1)(bc)
7.	Shri Rajeev Gupta, Retired Secretary, Department of Youth Affairs, Government of India, New Delhi	Member under Section 5(1)(bc)
8.	Shri Girish Shah, Samasta Mahajan, Mumbai	Member under Section 5(1)(bc)
9.	Dr. R.S. Chauhan College of Veterinary and Animal Sciences, G.B. Pant University of Agriculture and Technology, Uttarakhand.	Member under Section 5(1)(c),
10.	Vaidya Hitesh Jani, Head & Chief Physician, Department of Panchkarma UG, Jamnagar, Gujarat Ayurved University.	Member under Section 5(1)(d)
11.	DG, ICMR	Member under Section 5(1)(d)
12.	Representative of Municipal Corporation of Guwahati, Assam.	Member under Section 5(1)(e)
13.	Representative of Municipal Corporation of, Karnataka.	Member under Section 5(1)(e)
14.	Shri Sunil Mansinghka, , Gauvigyan Anusandhan Kendra, Devlapar, Nagpur	Member under Section 5(1)(f)
15.	Shri Ram Krishan Raghuvanshi, People for Animal Jankalyan Samiti, Vidisha, Madhya Pradesh	Member under Section 5(1)(f)
16.	The Joint Secretary (Animal Welfare), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India.	Member under Section 5(1)(h)
17.	Shri Ajit Sharad Kelkar, Indore, Madhya Pradesh	Member under Section 5(1)(h)
18.	Shri Dhan Pal Singh, Gayatri Parivaar Dev Sanskriti Vishwavidhyala, Haridwar	Member under Section 5(1)(h)

The Central Government hereby nominates the Director General of Forests and Special Secretary to be the Chairman of the Animal Welfare Board of India as per sub-Section (3) of Section 5 of the aforesaid Act.

Nominations under Section 5(1)(f) and Section 5(1)(g) for the remaining four positions of the Board shall be made separately.

[F. No. 11/14/2016-AWD]

S. GOWRI SHANKAR, Dy. Secy. (AW)

**Note:** The earlier notifications regarding reconstitution of the Animal Welfare Board of India were published in the Gazette of India *vide* number S.O.2005(E) dated 29.11.2007, S.O.2981(E) dt.29.12.2008, S.O.3077(E) dt.30.11.2009, S.O. 2882(E) dt. 1.12.2010, S.O. 602(E) dt. 28.02.2014, S.O. 1301(E) dt. 13.05.2015, S.O. 4156(E) dt. 23.12.2016 and S.O. 4165(E) dt. 26.12.2016.